भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3000 का उत्तर

बिहार के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना

3000. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

श्री गिरिधारी यादव:

श्री दिनेश चंद्र यादवः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए बिहार राज्य में रेलवे स्टेशनों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में चुने गए स्टेशनों की स्टेशन-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या बिहार में इन स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए निधि संस्वीकृत और जारी कर दी गई हैं और यदि हां, तो संस्वीकृत लागत, अब तक जारी की गई निधि और किए गए व्यय सहित तत्संबंधी स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में सभी चुने गए स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्य शुरू हो गए हैं और यदि हां, तो कार्य की वर्तमान स्थिति, इसके पूरा होने के लिए निर्धारित समय-सीमा और चालू होने की संभावित तारीख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने बिहार में उक्त परियोजनाओं का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई समीक्षा प्रक्रियाओं और सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में मास्टर प्लान तैयार करना तथा उनका चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करके स्टेशनों का उन्नयन करना शामिल है। मास्टर प्लान में निम्न शामिल हैं:

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण
- स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पेयजल बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/कॉनकोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म पर कवर में सुधार/प्रावधान
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों का एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध और व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ का प्रावधान आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है जिनमें 98 स्टेशन बिहार में स्थित हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए बिहार में चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
बिहार	98	अनुग्रह नारायण रोड, आरा, अररिया कोर्ट, बख्तियारपुर, बांका, बनमनखी, बापूधाम मोतिहारी, बड़हिया, बरौनी, बाढ़, बरसोई जंक्शन, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ रोड, भागलपुर, भगवानपुर, बिहारशरीफ, बिहिया, बिक्रमगंज, बक्सर, चकिया, चौसा, छपरा, दलसिंह सराय, दरभंगा, दौराम मधेपुरा, डेहरी-ऑन-सोन, ढोली, दिघवारा, डुमरांव, दुर्गौती, एकमा, फतुहा, गया, घोड़ासहन, गुरारू, हाजीपुर जंक्शन, जमालपुर जं., जमुई, जनकपुर रोड, जयनगर, जहानाबाद, झंझारपुर, कहलगांव, करागोला रोड, कटिहार जं, खगड़िया जंक्शन, किशनगंज, कुदरा, लाभा, लहेरिया सराय, लखीमिनिया, लखीसराय जं., मधुबनी, महेश खुंट, मैरवा, मानसी जंक्शन, मसरख, मोकामा, मोतीपुर मुंगेर(मुंगेर), मुजफ्फरपुर, नबीनगर रोड, नरकटियागंज जं., नौगछिया, नवादा, पहाड़पुर, पाटलीपुत्र, पटना जं., पीरो, पीरपैंती, रफीगंज, रघुनाथपुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल (पटना), राजगीर, राम दयालु नगर, रक्सौल, सबौर, सगौली, सहरसा, साहिबपुर कमल, सकरी, सलौना, सालमारी, समस्तीपुर, सासाराम, शाहपुर पटोरी, शिवनारायणपुर, सिमरी बख्तियारपुर, सिमुलतला, सीतामढ़ी, सीवान, सोनपुर जं., सुल्तानगंज, सुपौल, तरेगना, ठाकुरगंज, थावे

बिहार में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। अब तक, इस योजना के तहत बिहार में 2 स्टेशनों (पीरपैंती और थावे) का कार्य पूरा हो चुका है।

अन्य स्टेशनों पर भी विकास के कार्यकलाप अच्छी गति से शुरू किए गए हैं और कुछ स्टेशनों में इन कार्यों की प्रगति नीचे दी गई है:

- बारसोई जंक्शन स्टेशन: पुराने क्वार्टरों को हटाने और उपयोगिता साधनों को स्थानांतरित करने का कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवन, परिचलन क्षेत्र और 12 मीटर ऊपरी पैदल पुल का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- किशनगंज स्टेशन: प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पर प्लेटफॉर्म सतह निर्माण का कार्य, प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पर पेयजल नल, परिचलन क्षेत्र में सुधार, दूसरे प्रवेश द्वार पर पार्किंग, पहुंच मार्ग और चहारदीवारी का कार्य पूरा हो चुका है। बागवानी और 12 मीटर ऊपरी पैदल पुल का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- सालमारी स्टेशन: स्टेशन भवन के सुधार, विस्तार और प्लेटफॉर्म संख्या 1 के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई को बढ़ाने और प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर प्लेटफॉर्म शेल्टर का कार्य पूरा हो चुका है। परिचलन क्षेत्र और 3 मीटर ऊपरी पैदल पुल का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- सिमुलतला स्टेशन: दूसरे प्रवेश द्वार पर स्टेशन भवन का कार्य, प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 का विस्तार, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म नवीनीकरण, परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, संकेतक, सवारी डिब्बा संकेतक बोर्ड और रेलगाड़ी संकेतक बोर्ड का कार्य पूरा हो चुका है। एस्केलेटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- ठाकुरगंज स्टेशन: प्लेटफॉर्म संख्या 1 की ऊंचाई बढ़ाने, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर प्लेटफॉर्म की सतह, प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पर प्लेटफॉर्म शेल्टर और 12 मीटर ऊपरी पैदल पुल के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर

प्लेटफॉर्म की सतह, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर शौचालय, सवारी डिब्बा संकेतक बोर्ड और रेलगाड़ी संकेतक बोर्ड का कार्य शुरू किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य आवश्यकतानुसार, परस्पर वरीयता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन किए जाते हैं। स्टेशन का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण स्टेशन की कोटि/स्थिति/यातायात संभलाई आदि के आधार पर किया जाता है।

भारतीय रेल में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक सुस्थापित तंत्र है, जिसमें उनकी समीक्षा, निरीक्षण, कार्यों की गुणवत्ता की जांच और लेखापरीक्षा शामिल है। विभिन्न संहिताओं और नियमावलियों में निर्धारित मानकों और विशिष्टताओं का पालन करते हुए कार्य किए जाते हैं। विभिन्न एजेंसियों/अधिकारियों/बहु-विषयक टीमों द्वारा समय-समय पर निर्धारित निर्देशों के अनुसार निरीक्षण/लेखापरीक्षा/जाँच की जाती है और क्षतियों के समाधान सहित सुधार हेतु त्वरित कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत और निरंतर प्रकिया है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथों और उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के तहत निधियों के आवंटन और उपयोग का ब्यौरा कार्य-वार या स्टेशन-वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है। बिहार चार क्षेत्रीय रेलों, अर्थात् पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 1,828 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जिसमें से अब तक 1584 करोड़ रुपए का व्यय (जनवरी, 2026 तक) उपगत किया गया है।

******